राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 176/2018...जिला.......श्रीगंगानगर..

मैसर्स प्रेमकुमार प्रदीपकुमार, श्रीगंगानगर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी, बीकानेर 2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/02/2018	**खण्डपीठ** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** **श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य**	

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वी.के.पारीक एवं विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2018 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55, 65 व 18 के तहत् कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 16.08.2017 द्वारा अपील संख्या 52/2017–18 में कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपील सं.	अवधि	धारा 4 के अंतर्गत कर	ब्याज	धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि	स्थगन हेतु निवेदित राशि
1	2	3	4	5	6
176/18	14–15	10,08,784	3,02,635	20,17,768	32,28,187

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा अन्तर्राज्यीय संव्यहार के तहत बिक्री 2 प्रतिशत से 'सी' फार्म के समर्थन से की है जिसके 'सी' फार्म कर निर्धारण अधिकारी को पेश किये गये थे। अपीलार्थी को कर निर्धारण आदेश 4 माह बाद तामील करवाया गया। अतः मांग राशियों के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी ।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक सम्बन्धी आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उनका यह भी कथन है कि विवादित संव्यवहारों में माल के ट्रांसपोर्टेशन आदि के कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये थे, अतः ये संव्यवहार बोगस हैं।

लगातार...........2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 176/2018..जिला.......श्रीगंगानगर..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/02/2018	उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई जांच में यह पाया गया है कि विवादित संव्यवहारों के सम्बन्ध में राज्य बाहर के तथाकथित क्रेताओं द्वारा यह खरीद घोषित नहीं की गई है, अतः अन्तर्राज्यीय बिक्री जांच में प्रमाणित नहीं पाये जाने पर जो करारोपण किया गया है उसके सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी के पक्ष में नहीं है। परन्तु शास्ति के बिन्दु पर प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में उपरवर्णित सारिणी के कॉलम संख्या 5 में अंकित धारा 61 के तहत शास्ति राशि की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता हे कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करे। स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 21/02/18 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	